झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–31 वर्ष 2019

1. समीर अंसारी
2. आसिफ अंसारी .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मे0 शैलेन्द्र जीत, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी0।

04 / 22.08..2019

1. यह पुनरीक्षण, आपराधिक अपील (जमानत) सं0 70 / 2018 में पारित दिनांक 06. 12.2018 के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ द्वारा किशोर / याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

2. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सूचक एक चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना की तारीख 23.07.2018 है जबकि प्राथमिकी 02.08.2018 को दर्ज की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने स्थानीय डॉक्टर के नाम का खुलासा नहीं किया है जिसने मृतक का इलाज किया था और न ही मृतक की मृत्यु की तारीख का खुलासा किया है। यह कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

3. विद्वान ए0पी0पी0 ने प्रस्तुत किया है कि गवाहों जिनके नाम राकेश राम और चतुर्धन रबीदास हैं, ने मृतक पर हमले के बारे में बताया है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक के शरीर पर काई चोट नहीं पाई गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि एस्फिक्सिया के कारण मृत्यु होने से इनकार नहीं किया जा सकता है और भिस्रा को संरक्षित किया गया है।

4. सुना गया है। यह आरोप है कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा सूचक के बेटा पर डंडा और लाठी से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई मृत्यु पूर्व चोट नहीं पाई गई। एफ0आई0आर0 दर्ज करने में लगभग दस दिनों की देरी के लिए कोई सत्याभाषी स्पष्टीकरण नहीं है। उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्त्ताओं को रामगढ़ थाना काण्ड सं0 312/2018 में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, रामगढ़ की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– रू0 के जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन है कि जमानतदारों में से एक याचिकाकर्त्ताओं का पिता होगा जो यह वचन देगा कि वह याचिकाकर्त्ताओं का उचित पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करेगा और प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्त्ताओं को प्रस्तुत करेगा, जब भी उन्हें बुलाया जाए। यदि सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है, तो बोर्ड न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

5. उक्त निर्देश के साथ यह पुनरीक्षण, इसके द्वारा, अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)